


# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

### (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी इंगला मुकाम इंगला  
 जिला-चिसौ इंगब जिला-चिसौ इंगब  
 शरणपत्र बनाम अल  
 क्रमा बादपत्र घास 88/188 आर. सं. 107/25 सन

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>12/8/25</p> <p>वाद पत्र बाद जांच प्रस्तुत हुआ वकील वादी उपस्थित। दर्ज रेवेन्यू इन्तदायी किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे पत्रावली देखने तामीली रिपोर्ट एवं जवाब दिनांक 10/9/25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी इंगला</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी ने उपस्थित होकर पत्रावली पर अन्तर्गत आदेश 23 सी.पी. सी. का प्रस्तुत कर वाद प्रकरण सं. 107/2025 को विट्टो करने की अनुमति माही गई है। वकील वादी एवं वादी को सुना गया। वकील वादी एवं वादी ने आवश्यक्ता पत्र पट्टे का वाद पेश करने की शर्त के साथ वाद को विट्टो करने की अनुमति माही गई है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर अन्तर्गत आदेश 23 सी.पी.सी. का निर्धार किया जाता है। वादी का वाद पत्र अन्तर्गत सं. 88/188 आर. सं. ए. को विट्टो की अनुमति दी गई। मिश्रित लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली केवल सुमाट केवल ले कम है।</p>	<p>9d</p>  <p>उपखण्ड अधिकारी इंगला जिला-चिसौ इंगब</p>

